

- 2.01 वित्त समिति की दिनांक 17.9.2007 को सम्पन्न हुई प्रथम कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।
- 2.02 वित्त समिति की दिनांक 17.9.2007 को सम्पन्न हुई प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। जिस पर समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा मद संख्या 1.02 पर यह निर्णय लिया गया कि फीस को प्रदेश के अन्य शासकीय अभियांत्रिक संस्थाओं की भाँति बढ़ाकर सत्र- 2008-09 से रू० 40225 लिये जाय।
- 2.03 स्वराज माजदा वाहन संख्या यू०जी०आर०-1973 की मरम्मत से सम्बन्धित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बिचार प्रस्तुत किया गया तथा समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

35. (निर्णय)

1/4

वर्ष 2007-08 का पुनरीक्षित आय-व्यय का विवरण -

वित्तीय वर्ष 2007-08 के माह फरवरी 2008 के वेतन भत्तों के लिए रू0 18.06 लाख के पूरक माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2007-08 का पुनरीक्षित आयोजनेत्तर आय व्यय

क्र.सं.	मद	वर्ष 2007-08 में अनुमोदित (रू0 लाखों में)	वर्ष 2007-08 में अनुमोदित (रू0 लाख में)	वर्ष 2007-08 में फरवरी तथा व्यय के पश्चात अवशेष	1.3.08 से 31.3.08 तक अनुमानित व्यय (रू0 लाख में)	मार्च 2008 तक व्यय के पश्चात अवशेष (रू0 लाख में)	वर्ष 2007-08 के लिए पूरक माँग (रू0 लाख में)
1	वेतन भत्ते	153.23	148.99	4.24	22.30	-18.06	18.06
2	यात्रा व्यय	3.00	0.51	2.49	2.00	0.49	-
3	कार्यालय व्यय	7.00	2.88	4.12	0.80	3.32	-
4	टेलीफोन व्यय	1.00	0.51	0.49	0.20	0.29	-
5	गाड़ियों का अनुरक्षण	4.00	2.29	1.71	0.30	1.41	-
6	विज्ञापन	2.50	0.79	1.71	0.00	1.71	-
7	भवनों सड़कों एवं मशीनों आदि का रख-रखाव	15.50	10.91	4.59	4.59	0.00	-
8	विद्युत व्यय	12.00	10.86	1.14	1.14	0.00	-
9	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	2.00	0.85	1.15	0.35	0.80	-
10	चिकित्सा व्यय	6.73	2.87	3.86	0.40	3.46	-
11	इंटरनेट	3.00	1.71	1.29	0.00	1.29	-
12	विभागीय शैक्षणिक व्यय	3.00	0.95	2.05	.50	1.55	-
13	अंशकालिक चिकित्सक मानदेय	.30	0.20	0.10	0.00	0.10	-
14	किराया उपशुल्क कर स्वामित्व/जलकर	3.62	2.53	1.09	0.00	1.09	-
15	मजदूरी	2.00	1.28	0.72	0.40	0.32	-
16	पुस्तकालय व्यय	3.00	0.17	2.83	0.10	2.73	-
	योग-	221.88	188.30	33.58	33.08	0.50	-

समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचरोंपरान्त अपना अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि छात्रों के सेवायोजन हेतु एक नया मद खोला जाय तथा उसमें रू0 .50 लाख का प्राविधान किया जाय।

Dr. N. S. Singh

MA

क्रसं०	मद का नाम	वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकृत धन रू० लाख में	वर्ष 2008-09 के अनुमानित धन रू० लाख में
1	वेतन एवं भत्ते	153.23	200.05
2	यात्रा भत्ता	3.00	1.50
3	कार्यालय व्यय	700	6.00
4	टेलीफोन व्यय	1.00	1.00
5	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	3.00
6	विज्ञापन	2.50	2.50
7	भवनों, सड़कों एवं मशीनों आदि का रख-रखाव	15.50	8.50
8	विद्युत व्यय	12.00	15.00
9	खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	2.00	2.00
10	चिकित्सा पर व्यय	6.73	3.00
11	इंटरनेट	3.00	1.50
12	विभागीय शैक्षिक व्यय	3.00	3.00
13	मजदूरी	2.00	3.12
14	पुस्तकालय	3.00	2.58
15	किराया उपशुल्क कर स्वामित्व/जलकर	3.62	3.50
16	अंशकालिक चिकित्सक मानदेय	0.30	0.96
	योग -	221.88	257.21

समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया समिति ने उपरोक्त प्रस्ताव पर बिचार किया तथा बिचारोपरान्त अपना अनुमोदन प्रदान किया।

उ. नित्यम
Ma

2.06

संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पर बिचार -

संस्था में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (अधिनियम सं०-11 सन् 1948) के धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकारी अधिसूचना संख्या-4097/36-3-200-3(एमडब्ल्यू)-97 दिनांक 4 फरवरी 2000 और संख्या-1069/36-3-2007-1 (एमडब्ल्यू)-05 दिनांक 18 मई 2007 के द्वारा रू० 100/- प्रतिदिन या प्रतिमाह रू० 2600/- पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2.07

संस्था के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्थानीय कन्वेश दिये जाने के प्रस्ताव पर बिचार -

संस्थान के तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रूपये 30/- एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू० 15/- एक दिन का कन्वेश दिये जाने हेतु वित्त समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2.08

संस्थान के निदेशक को मोबाइल सुबिधा उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर बिचार -

स्टीयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक फरवरी 12, 2008 के मद संख्या-02 के बिन्दु-7 में लिये गये निर्णय के अनुसार निदेशक को मोबाइल सुबिधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया तथा समिति ने एक हजार रूपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति के साथ अनुमोदन प्रदान किया।

2.09

संस्था में रिक्त शैक्षिक पदों पर नियमित चयन होने तक शैक्षिक व्यवस्था में मानदेय/पारिश्रमिक के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर बिचार -

संस्था में अतिथि व्याख्याताओं को रू० 150/- प्रति पीरिएड जो एक माह में रू० 8000/- अधिक न हो भुगतान किया जाता है। रू० 200/- प्रति पीरिएड और एक माह में अधिकतम रू० 10000/- से अधिक न हो, का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

3) रिक्तियाँ

2.10

विभागाध्यक्ष स्वयं अपने के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल को स्वीकृत करने के अधिकार के प्रस्ताव पर विचार ।

शासनादेश संख्या-1209 / पॉच-6-2004-294/98टी0सी0 दिनांक 9.8.2004 के अनुसार विभागाध्यक्ष को रू0 1.00 लाख तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल को पास करने के लिये अधिकृत है। अतः विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं के चिकित्सापूर्ति बिल को पास करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा समिति ने यह निर्णय लिया कि अन्य संस्थानों पर लागू व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाने पर सहमति प्रदान की।

✓ 2.11

संस्था के स्टोर में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी हेतु प्रस्ताव पर विचार -

संस्था के स्टोर में विगत कई वर्षों से निष्प्रयोज्य सामग्री पड़ी हुई है जिनकी दिन प्रतिदिन मूल्यों की हास हो रहा है जिसको नीलाम किया जाना अति आवश्यक है। समिति के विचार हेतु प्रस्ताव किया गया तथा समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2.12

संस्था में एक अंशकालिक चिकित्सक/कम्पाउंडर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार -

शासनादेश सं0 594/2001-सोलह-1-110/97 दिनांक 26 मई 2001 के अनुसार रूपये 5000/- प्रतिमाह की दर से अंशकालिक चिकित्सक नियुक्त करने एवं कम्पाउंडर हेतु प्रतिमाह रू0 3000/- प्रतिमाह की दर से रखने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया तथा समिति ने यह निर्णय लिया कि किसी पास के नर्सिंग होम के साथ संयोजन कर लिया जाय एवं सुविधा प्रदान की जाय।

2.13

संस्था के कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार -

संस्थान के कर्मचारियों को जोकि कार्य अवधि के उपरान्त एवं अवकाश के दिनों में भी कार्य करते हैं, को उत्कृष्ट कार्य करने के उपरान्त उनको मानदेय संस्था की वर्ष 2007-08 की बचतों से रू0 0.50 लाख की धनराशि से देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया समिति ने यह निर्णय लिया कि औचित्य पूर्ण प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाय।

30-1-2011

Mh

पुस्तकालय में प्रशिक्षुओं को रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव -

उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के पत्र सं०- उ० प्र० प्रा० वि०/कु० स० का०/2008/32292-32591 दिनांक 19 फरवरी 2008 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों के पुस्तकालय में दो प्रशिक्षु रखे जाने की अपेक्षा की गयी जिनको रू० 1970 प्रतिमाह की दर से भुगतान करना होगा जिसका 50 प्रतिशत प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा वापस कर दिया जायेगा । वर्ष भर में कुल रू० 23640 व्यय आयेगा जिसका व्यय पुस्तकालय मद के अन्तर्गत किया जायेगा। उपरोक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

डॉ. सिद्धांत म्या

2.15

संस्थान की अवस्थापना एवं संरचना हेतु संस्था की आय के सापेक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर बिचार -

संस्थान की अवस्थापना एवं संरचना के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में होने वाली संभावित बचतों के सापेक्ष निम्नलिखित व्यय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

कसं0	मद का नाम	धनराशि
1	संस्थान में अतिथि गृह का निर्माण	42.34 लाख
2	विद्युत एवं जेनरेटर	1.56 लाख
	योग-	43.90 लाख

समिति ने यह निर्णय लिया कि संस्थान में अतिथि गृह निर्माण के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की एवं विद्युत पैनल एवं जनरेटर रखने हेतु भवन के निर्माण पर सहमत व्यक्त की।

2.16

संस्था परिसर में महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव पर बिचार -

संस्था परिसर में कोई भी महिला छात्रावास नहीं है। महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी लागत रू0 204.00 लाख है। समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2.17

संस्था परिसर में लड़को के छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव पर बिचार -


समिति ने 165 सीटों के छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया समिति ने प्रस्ताव स्थगित किया।


2.18

अन्य कोई बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

बित्त समिति की दिनांक 17.9.07 को यात्रा भत्तों के भुगतान पर सहमत व्यक्त की जा चुकी है अतः यात्रा भत्तों का प्रिआडिट कराकर भुगतान कर दिया जाय।

वैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।


(डा0 अनिता निष्काम)
निदेशक
सदस्य सचिव


(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव
अध्यक्ष वित्त समिति